

- 7.7.1.2 **फाटक टेलीफोन के विफल होने** की स्थिति में ,अप और/या डाउन ट्रेन(ओं) के समपार फाटक से पूरी तरह से गुजरने को सुनिश्चित करने के बाद ,उप एस.एम .**समपार फाटक** पर से नियंत्रण छोड़ देगा ताकि सड़क यातायात के लिए समपार फाटक **खोला जा सके**। फाटकवाला को **स्वतंत्र संकेत मिलने के बाद** समपार फाटक खोलना होगा। सड़क यातायात के गुजरने के बाद ,वह सड़क यातायात के गुजरने के तुरंत बाद सड़क यातायात के लिए समपार फाटक को बंद कर देगा।
- 7.7.2 स्लाइडिंग बूम के साथ समपार फाटक खोलने की प्रक्रिया**
- 7.7.2.1 समपार फाटक से ट्रेनों के गुजरने के बाद ,फाटकवाला उप स्टेशन प्रबंधक को सूचित करेगा कि ट्रेन समपार फाटक से गुजर चुकी है। उप स्टेशन प्रबंधक यह भी सुनिश्चित करेगा कि समपार फाटक से वी.डी.यू. पैनल ,**एलएक्स ' 62 SBXN और XXN 'के माध्यम से अप/डाउन ट्रेन पूरी तरह से गुजरी हो। पैनल पर एल.एक्स.' 62 एक्स.एन 'बटन के ऊपर स्थिर सफेद संकेत चमकती सफेद में बदल जाएगा और फाटक पैनल पर मुक्त संकेत दिखाई देगा।**
- 7.5.2.2 फाटक पैनल पर मुक्त संकेत प्राप्त होने के बाद ,फाटकवाला के.एल.आर .बॉक्स पर पी.बी .बटन दबाकर के.एल.आर .से चाबी' **सी 'निकालेगा और एस.एम .पैनल पर स्थिर लाल संकेत दिखाई देगा।**
- 7.7.2.3 इस चाबी' सी 'को स्लाइडिंग बूम संख्या 2के मीटिंग पोस्ट पर उपलब्ध -3तरफा 'ई 'प्रकार के लॉक में डाला जाएगा ,जो चाबी' ए '2और चाबी' बी 'को मुक्त कर देगा और बूम संख्या 2को अनलॉक कर देगा ,जिसे स्लाइड करके सड़क यातायात के लिए खोल दिया जाएगा और दूसरे छोर पर ताला लगा दिया जाएगा।
- 7.7.2.4 बूम संख्या 2से निकाली गई चाबी' बी 'को बूम संख्या 1के मीटिंग पोस्ट में डाला जाएगा और घुमाया जाएगा ,जो मीटिंग पोस्ट पर दिए गए -2तरफा टाइप 'ई 'लॉक से चाबी' ए '1को मुक्त कर देगा। इससे बूम संख्या 1अनलॉक हो जाएगा ,जिसे स्लाइड करके सड़क यातायात के लिए खोला जाएगा और दूसरे छोर पर ताला लगा दिया जाएगा।
- 8 कोपरगांव-कान्हेगांव-कोपरगांव सेक्शन पर ट्रेनों के आवागमन के लिए निम्नलिखित निर्देशों का पालन किया जाएगा :**
- 8.1 डाउन ट्रेन को भेजने से पहले या अप ट्रेन को प्राप्त करने से पहले या समपार फाटक पर कोई शंट मूव करने से पहले ,एस.एम. फाटकवाला को फाटक टेलीफोन के माध्यम से ट्रेन नंबर ,नाम ,दिशा के बारे में सूचित करेगा और उसे सड़क यातायात के लिए फाटक बंद करने और ताला लगाने का निर्देश देगा।
- 8.2 फाटकवाला ड्यूटी पर तैनात एस.एम .के निर्देशों के अनुसार ,सड़क यातायात के लिए फाटक को बंद कर देगा और ताला लगा देगा ,जैसा कि ऊपर पैरा संख्या 7.6में विस्तृत रूप से बताया गया है।
- 8.3 फाटकवाला तब तक समपार फाटक नहीं खोलेगा जब तक कि अप/डाउन ट्रेन ,जैसा भी मामला हो ,समपार फाटक को पूरी तरह से पार न कर जाए।

(राजेश मीणा)  
व.मं.सि व दू.इंजी/पुणे

  
(देवेन्द्र कुमार)  
व.मं.इंजी( उ.पू )/पुणे  
क।/8

(डॉ. रामदास भिसे)  
व.मं.प.प्र./पुणे

**9 समपारफाटक से ट्रेन गुजरते समय फाटकवाला की स्थिति: संदर्भ : (स.नि 16.04-1)**

- 9.1 ऊ्यूटी पर तैनात गैटमैन को फाटक लॉज की ओर की साइड पर ट्रैक की दिशा में मुंह करके सावधान की स्थिति में खड़ा होना चाहिए। दिन के समय उसके दाएँ हाथ में लपेटा हुआ लाल झंडा और बाएँ हाथ में हरा झंडा होना चाहिए, तथा रात के समय उसके हाथ में एच.एस. लैंप होना चाहिए जिसकी सफेद रोशनी ट्रैक की ओर हो।
- 9.2 वह सभी गुजरने वाली ट्रेनों पर नजर रखेगा, ताकि किसी भी असामान्य स्थिति जैसे कि एक्सल गर्म होना, चैन लटकना, किसी वाहन/वैगन में आग लग जाना, फ्लैट टायर हो जाना, लोड शिफ्ट होना आदि को देख सके तथा खतरे का संकेत दिखाकर लोको पायलट और ट्रेन के गार्ड को चेतावनी देने के लिए तुरंत कार्रवाई करेगा तथा ऊ्यूटी पर मौजूद एस.एम. को भी मामले की सूचना देगा, जो ट्रेन को रोकेगा और आवश्यक कार्रवाई करेगा।

**10 सड़क यातायात के लिए लेवल क्रॉसिंग फाटक खोलने के लिए निम्नलिखित बिंदुओं का पालन किया जाएगा :**

- 10.1 अप/डाउन ट्रेन (ट्रेनों) के गुजरने या समपार फाटक पर शंटिंग यदि कोई हो (पूरी होने के बाद, उप स्टेशन प्रबंधक यह सुनिश्चित करेगा कि **डाउन स्टार्टर (एस, 4-एस5-)** और अप **होम सिगनल (एस/सीओ28-)** 'ऑन' स्थिति में हैं। फिर फाटकवाला ऊपर पैरा 7.7 में बताई गई प्रक्रिया के अनुसार फाटक खोलेगा।
- 10.2 यदि कोहरे, घने या तूफानी मौसम की स्थिति आदि के कारण आगे का दृश्य स्पष्ट नहीं है, तो फाटकवाला समपार फाटक के दोनों ओर 5मीटर की दूरी पर खतरे की रोशनी के साथ एच.एस. लैंप से फाटक की सुरक्षा करेगा।
- 10.3 **अत्यधिक आपातकालीन स्थिति** में समपार फाटक खोलना आवश्यक हो, जैसे कि ट्रेन की दुर्घटना या ट्रेन का दो भागों में काम करना आदि, जिससे देरी हो सकती है, तो वह एस.एम. कान्हेगाँव की पूर्व अनुमति से फाटक खोल सकता है, बशर्ते **डाउन स्टार्टर्स (एस, 4-एस5-)** और अप **होम सिगनल (एस/सीओ28-)** 'ऑन' स्थिति में हों।

**11 फाटक टेलीफोन या फाटकवाला को टेलीफोन अटेंड करने में विफलता : (संदर्भ : एसआर2-16.03.(ई))**

- 11.1 फाटकवाला द्वारा सूचना देने में विफल रहने या टेलीफोन विफल होने की स्थिति में, ऊ्यूटी पर तैनात उप स्टेशन प्रबंधक एक कांटेवाला को लिखित निर्देश के साथ नियुक्त करेगा कि फाटकवाला को ट्रेन के गुजरने के लिए सड़क यातायात के लिए फाटक बंद करके ताला लगाना है। ट्रेन/पीछे आने वाले वाहन (यदि कोई हो) के गुजरने के बाद, फाटकवाला फाटक पैनल पर स्वतंत्र संकेत प्राप्त करने के बाद फाटक खोल सकता है।
- 11.2 फाटकवाला स्टेशन कांटेवाला के माध्यम से प्राप्त ऊ्यूटी पर तैनात उप स्टेशन प्रबंधक के निर्देशानुसार, ट्रेन के गुजरने के लिए सड़क यातायात के लिए फाटक को बंद कर देगा और ताला लगा देगा।

(राजेश मीणा)  
व.मं.सि व द्र.इंजी/पुणे

  
(देवेन्द्र कुमार)  
व.मं.इंजी(उ.पू)/पुणे  
क 1/9

(डॉ. रामदास भिसे)  
व.मं.प.प्र./पुणे

- 11.3 सड़क यातायात के लिए फाटक बंद होने की पुष्टि में पैनल पर चमकता संकेत मिलने पर ड्यूटी पर तैनात उप स्टेशन प्रबंधक वी.डी.यू. ऑपरेशन 'XN' और 'XRN' द्वारा फाटक नियंत्रण वापस ले लेंगे और स्थिर संकेत मिलने के बाद, मामले के अनुसार ट्रेन के स्वागत या प्रस्थान के लिए सिगनल को 'ऑफ' कर सकते हैं।
- 11.4 फाटक टेलीफोन के फेल होने की स्थिति में, ड्यूटी पर मौजूद उप स्टेशन प्रबंधक 'स्लॉट कंट्रोल' को रिलीज़ कर देगा, जब कोई अप या डाउन ट्रेन न हो, फाटक पैनल पर फ्री इंडिकेशन दिखाई देगा। फाटकवाला दोनों दिशाओं में देखेगा ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि दोनों तरफ से कोई ट्रेन नहीं आ रही है। इसके बाद फाटकवाला फाटक खोल देगा। सड़क वाहनों के गुजर जाने के बाद, फाटकवाला सड़क यातायात के लिए फाटक बंद कर देगा।
- 11.5 यदि संचार विफल हो जाता है, तो स्टेशन पर या परीक्षण कक्ष में मौजूद संबंधित एस एंड टी कर्मचारियों को एक मेमो दिया जाना चाहिए, जो विफलता को ठीक करने के लिए कर्मचारियों की व्यवस्था करेगा। एस एंड टी विफलता प्रतिरोधक में प्रविष्टि की जानी चाहिए।
- 12 लिफ्टिंग बैरियर/स्लाइडिंग बूम/अप होम/डाउन अग्रिम प्रस्थान सिगनल खराब होने पर अपनाई जाने वाली प्रक्रिया :**
- यदि लिफ्टिंग बैरियर क्षतिग्रस्त हो जाते हैं या लिफ्टिंग बैरियर को नीचे नहीं किया जा सकता है और सड़क यातायात के लिए लॉक नहीं किया जा सकता है, तो फाटकवाला ड्यूटी पर तैनात उप स्टेशन प्रबंधक से संपर्क करने के बाद, पैरा संख्या 7.6.2 और 7.7.2 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, इस उद्देश्य के लिए प्रदान किए गए स्लाइडिंग बूम बैरियर के साथ काम करना शुरू कर सकता है।
- यदि लिफ्टिंग बैरियर क्षतिग्रस्त हो जाएं या लिफ्टिंग बैरियर को नीचे नहीं उतारा जा सके और सड़क यातायात के लिए लॉक न किया जा सके तथा साथ ही स्लाइडिंग बैरियर भी क्षतिग्रस्त/विफल हो जाएं या इंटरलॉकिंग में किसी प्रकार की विफलता के परिणामस्वरूप, निम्नलिखित कार्रवाई की जानी चाहिए:
- 12.1 फाटक पर ड्यूटी पर तैनात फाटकवाला यह सुनिश्चित करेगा कि अप/डाउन सिगनल 'ऑन' स्थिति में हों, अन्यथा फाटकवाला सीलबंद हालत में उपलब्ध कराए गए आपातकालीन स्विच को चलाकर सिगनल को वापस 'ऑन' स्थिति में लाएगा।
- 12.2 उप स्टेशन प्रबंधक द्वारा सावधानी बरती जानी चाहिए ताकि जब तक फाटक के दोनों ओर से रेलवे ट्रैक की ओर आने वाले सड़क यातायात को सुरक्षित जंजीरों से अवरुद्ध नहीं कर दिया जाता है और यह सुनिश्चित नहीं कर दिया जाता है कि जंजीरों पर ताला लगा दिया गया है, तब तक रेलगाड़ी को समपार फाटक से गुजरने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।
- 12.3 फाटक पर ड्यूटी पर तैनात फाटकवाला उप स्टेशन प्रबंधक को प्राइवेट नंबर के समर्थन का आश्वासन तब तक नहीं देगा जब तक कि उसने फाटक के दोनों ओर सड़क पर सुरक्षा जंजीरों के माध्यम से समपार फाटक को वास्तव में बंद नहीं कर दिया हो और ताला नहीं लगा दिया हो।

(राजेश मीणा)  
व.मं.सि व दू.इंजी/पुणे

  
(देवेन्द्र कुमार)  
व.मं.इंजी(उ.पू)/पुणे  
क 1/10

(डॉ. रामदास भिसे)  
व.मं.प.प्र./पुणे

- 12.4 ड्यूटी पर तैनात फाटकवाला से फाटक बंद करने के आश्वासन के रूप में **प्राइवेट नंबर** प्राप्त करने के बाद कि दोनों तरफ से समपार फाटक तक सड़क वाहन के पहुंचने का रास्ता सड़क यातायात के लिए अवरुद्ध कर दिया गया है, ड्यूटी पर तैनात उप स्टेशन प्रबंधक किसी गाड़ी के लोको पायलट को **टी 369/(3बी) जारी करके गाड़ी को समपार फाटक से गुजरने की अनुमति देगा**, ताकि वह डाउन स्टार्टर या अप होम सिगनल, जैसा भी मामला हो, को 'ऑन' स्थिति में पास कर सके।
- 12.5 सिगनल फेल होने की स्थिति में फाटकवाला सभी अप और डाउन ट्रेनों को दाहिने हाथ का सिगनल दिखाकर पास करेगा, बशर्ते उसने फाटक को सड़क यातायात से सुरक्षित कर लिया हो।
- 13. लेवल क्रॉसिंग फाटक पर दुर्घटना या किसी बाधा की स्थिति में कार्रवाई (स.नि. 1-16.07(ii))**
- 13.1 किसी दुर्घटना या समपारफाटक पर किसी अवरोध की स्थिति में, ड्यूटी पर मौजूद फाटकवाला सबसे पहले **डाउन स्टार्टर और अप होम सिगनल को आपातकालीन स्विच के साथ 'ऑन' स्थिति में** वापस रखेगा और ड्यूटी पर मौजूद उप स्टेशन प्रबंधक को मामले की सूचना देगा। इसके बाद फाटक की सुरक्षा के लिए दिन में **लाल झंडा और रात में लाल बत्ती दिखाएगा** और फाटक लॉज पर चित्रित आरेख के अनुसार ट्रैक पर डेटोनेटर लगाएगा ताकि आने वाली ट्रेन को रोका जा सके।
- 13.2 यदि कोई ट्रेन नहीं आ रही है, तो वह अवरुद्ध हटाने के लिए प्रयास करेगा और यदि वह संभव नहीं है तो उप स्टेशन प्रबंधक कान्हेगाँव को आपातकालीन रिंग (लगातार लंबी रिंग) देगा, जो तुरंत टेलीफोन पर बात करेगा और आवश्यक कार्रवाई करेगा।
- 13.3 ड्यूटी पर तैनात फाटकवाला, यदि अवरोध हटाने में असमर्थ हो तो उसे समपार फाटक के दोनों ओर सुरक्षा प्रदान करनी होगी। सबसे पहले फाटक के उस तरफ से जिस तरफ है ट्रेन के आने की उम्मीद है। संरक्षण निम्नानुसार किया जाएगा:
- यदि दोनों लाइनें बाधित हैं, तो फाटकवाला दिन में लाल बैनर झंडा और रात में या दिन के समय जब दृश्यता स्पष्ट नहीं हो, एक लाल बत्ती लगाएगा, जो उस लाइन पर लगे डंडे से 5 मीटर की दूरी पर विधिवत रूप से लगी होगी जिस पर किसी ट्रेन के पहले आने की उम्मीद है। फिर वह इसी तरह दूसरी डंडी को खतरे के हाथ के संकेत के साथ दूसरी लाइन पर अवरोध के स्थान से 5 मीटर की दूरी पर लगाएगा। फाटकवाला तुरंत खतरे का हाथ का संकेत दिखाते हुए आगे बढ़ेगा ताकि रात के समय या घने और कोहरे वाले मौसम में या जब दृश्यता अन्यथा खराब हो, फाटक की सुरक्षा के लिए डेटोनेटर लगा सके। इसके बाद वह तीसरा खतरे का हाथ संकेत दिखाते हुए उस लाइन पर आगे बढ़ेगा, जिस पर सबसे पहले ट्रेन आने की संभावना हो, और लगभग 600 मीटर की दूरी पर जाकर उस लाइन पर एक डेटोनेटर लगाएगा। इसके बाद वह लेवल क्रॉसिंग से कम से कम 1200 मीटर की दूरी तक जाएगा और लाइन पर लगभग 10 मीटर की दूरी पर 3 डेटोनेटर लगाएगा। इस प्रकार उस लाइन की सुरक्षा करने के बाद जिस पर ट्रेन के सबसे पहले आने की उम्मीद है, वह वापस लौटते समय मध्यवर्ती डेटोनेटर उठाकर लेवल क्रॉसिंग फाटक पर लौटेगा। फिर वह खतरे का हाथ संकेत दिखाते हुए दूसरी लाइन पर आगे बढ़ेगा, उसी तरह डेटोनेटर रखेगा और वापस लौटते समय मध्यवर्ती डेटोनेटर उठाकर अवरोध के स्थान पर वापस आएगा। फिर उसे अवरोध को हटाने के लिए कदम उठाने होंगे।

(राजेश मीणा)  
व.मं.सि व दू.इंजी/पुणे

  
(देवेन्द्र कुमार)  
व.मं.इंजी( उ.पू )/पुणे  
क।/11

(डॉ. रामदास भिसे)  
व.मं.प.प्र./पुणे

**14 फाटक रजिस्टर का रखरखाव:**

- 14.1 सामान्य एवं असामान्य परिस्थितियों में स्टेशन एवं समपार फाटक पर फाटक रजिस्टर का रखरखाव किया जाएगा।
- 14.2 सामान्य परिस्थिति में, ट्रेन संख्या, वह समय जब उप स्टेशन प्रबंधक ने फाटक बंद करने का निर्देश दिया तथा वह समय जब ट्रेन फाटक से गुजरी, दर्ज किया जाएगा।
- 14.3 इंटर लॉकिंग फाटक /लिफ्टिंग बैरियर या स्लाइडिंग बूम बैरियर की विफलता के दौरान, फाटक बंद करने के आश्वासन के रूप में फाटकवाला द्वारा जारी की गई ट्रेन संख्या, समय और निजी नंबर का रिकॉर्ड, आदि फाटकवाला और ड्यूटी पर मौजूद उप स्टेशन प्रबंधक द्वारा उनके फाटक रजिस्टर में एसआर 16.03-2 (b) (1) (vi) के अनुसार दर्ज किया जाएगा, जो निम्नानुसार है-

| स्टेशन मास्टर /फाटकवाला का रजिस्टर |           |                                                          |                                            |                                    |
|------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|
| फाटक नं.                           | ट्रेन सं. | सहायक स्टेशन प्रबंधक ने फाटक बंद करने के लिए कहने का समय | फाटकवाला द्वारा दिया गया समय और निजी नंबर। | समय जब ट्रेन समपार फाटक से गुजरी * |
|                                    |           |                                                          | समय                                        | निजी नंबर                          |

\*नोट :यह कॉलम फाटकवाला द्वारा अपने फाटक रजिस्टर में भरा जाएगा।

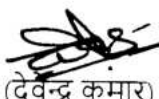
**15 विफलता रिपोर्ट:**

- 15.1 फाटकवाला द्वारा कॉल रिसीव न करने को ट्रेन सिगनलिंग रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा तथा मामले की रिपोर्ट की जाएगी।
- 15.2 टेलीफोन संचार की विफलता के मामले में, ड्यूटी पर तैनात उप स्टेशन प्रबंधक, अनुभाग के ईएसएम/जेई/एसआईजी को लिखित संदेश द्वारा तुरंत सूचित करेंगे और एस एंड टी विफलता रजिस्टर में दोषों को दर्ज करेंगे।

**16 फाटकवाला के लिए सामान्य निर्देश:**

- उन्हें समय पर ड्यूटी पर आना चाहिए तथा उचित वर्दी पहनकर सामान्य अवस्था में आना चाहिए।
- उसे अपने पूर्ववर्ती से उचित रूप से कार्यभार ग्रहण करना चाहिए तथा ड्यूटी पूरी होने पर कार्यभार अपने रिलीवर को उचित रूप से सौंप देना चाहिए। वह बिना अनुमति के अपनी शिफ्ट ड्यूटी में कोई परिवर्तन नहीं करेगा।
- किसी भी अनाधिकृत व्यक्ति को फाटक बूम संचालित करने की अनुमति न दें।
- एक बार सड़क यातायात के लिए फाटक बंद कर देने के बाद उसे तब तक न खोलें, जब तक कि ट्रेन समपार फाटक से गुजर न गई हो।
- उसे यह सुनिश्चित करना होगा कि पहिये के फ्लेंज के लिए चैनल क्लियर हो। (1-SR.16.05)
- फाटकवाला सड़क की सतह पर पानी डालने और उसे समतल करने के लिए जिम्मेदार होता है।

(राजेश मीणा)  
व.मं.सि व द्र.इंजी/पुणे

  
(देवेंद्र कुमार)  
व.मं.इंजी( उ.पू )/पुणे  
क 1/12

(डॉ. रामदास भिसे)  
व.मं.प.प्र./पुणे

- vii) यदि फाटकवाला को पता चले कि गाड़ी अलग हो गई है ,तो वह लोको पायलट को रुकने का संकेत नहीं दिखाएगा ,बल्कि दिन में हरी झंडी और रात में सफेद रोशनी दिखाएगा तथा चिल्लाकर ,इशारे करके या अन्य तरीकों से लोको पायलट और गाड़ी के गार्ड का ध्यान आकर्षित करने का प्रयास करेगा।
- viii) ड्यूटी पर तैनात फाटकवाला लिफ्टिंग बैरियर को नीचे करने से पहले यह सुनिश्चित करेगा कि लिफ्टिंग बैरियर के बीच या नीचे कोई सड़क वाहन या पैदल यात्री खड़ा न हो।
- ix) उसे गेट लॉज को बिना निगरानी के, विशेष रूप से खुले हालात में, नहीं छोड़ना चाहिए।
- x) हाईट गेज का गुम/क्षति यदि कोई हो तो उसकी रिपोर्ट कान्हेगाँव में ड्यूटी पर मौजूद स्टेशन प्रबंधक को दी जाएगी।
- xi) यदि ओ.एच.ई. तार समपार फाटक पर गिरा हुआ है ,जिससे सड़क यातायात का सुरक्षित मार्ग खतरे में पड़ सकता है ,तो फाटकवाला समपार फाटक से गुजरने वाले सभी सड़क यातायात को तब तक रोकने की व्यवस्था करेगा ,जब तक कि यह सुनिश्चित नहीं हो जाता कि फाटक सड़क यातायात के लिए सुरक्षित है।
- xii) उसे अपनी ड्यूटी के समय या शिफ्ट ड्यूटी में कोई परिवर्तन नहीं करना चाहिए जब तक कि अपने प्रत्यक्ष पर्यवेक्षक से पूर्व अनुमति प्राप्त न कर ली हो।
- xiii) फाटकवाला को यह सुनिश्चित करना होगा कि सुरक्षा उपकरणों का रिकार्ड अद्यतन है तथा सभी उपकरण अच्छी तथा कार्यशील स्थिति में हैं।
- xiv) स्लाइडिंग बूम को फाटकवाला द्वारा ,सप्ताह में एक बार ,प्रत्येक सोमवार को ,ड्यूटी पर मौजूद स्टेशन मास्टर की अनुमति से संचालित किया जाना चाहिए ,जो इसे स्टेशन डायरी में लाल स्याही से दर्ज करेगा।
- xv) स्लाइडिंग बूम को किसी भी तरह का नुकसान होने पर फाटकवाला को स्टेशन मास्टर को सूचित करना होगा। स्टेशन मास्टर एस एंड टी स्टाफ को इसकी सूचना देगा। संबंधित एस एंड टी स्टाफ उचित समय अवधि के भीतर इस पर ध्यान देगा और मरम्मत के बाद इसके सुचारू संचालन को फाटकवाला को दिखाएगा। (संदर्भ -दिनांक30.01.2020 : का जेपीओ-संख्या-पीए/ओपीटीजी/जेपीओ/01)
- xvi) असामान्य घटना और लोगों की शिकायत की सूचना स्टेशन प्रबंधक कान्हेगाँव को देगा ।

\*\*\*\*\*

(राजेश मीणा)  
व.मं.सि व द्र.इंजी/पुणे

  
(देवेन्द्र कुमार)  
व.मं.इंजी( उ.पू )/पुणे  
क 1/13

(डॉ .रामदास भिसे)  
व.मं.प.प्र./पुणे

|     |                                                       |   |
|-----|-------------------------------------------------------|---|
| 10. | बेलन                                                  | 1 |
| 11. | कुदाल कुल्हाड़ी -                                     | 1 |
| 12. | लाल झंडा या लाल बत्ती के प्रदर्शन के लिए उपयुक्त डंडे | 2 |
| 13. | बेलचा                                                 | 1 |
| 14. | डंडों के साथ बैनर झंडे.                               | 2 |
| 15. | स्टॉप बोर्ड (अतिरिक्त)                                | 2 |
| 16. | घड़ी                                                  | 1 |

उपर्युक्त मदों के अतिरिक्त निम्नलिखित पुस्तकें एवं रजिस्टर उपलब्ध होने चाहिए तथा उन्हें अद्यतन रखा जाना चाहिए- :

- 1) फाटक संचालन नियम पुस्तिका
- 2) फाटकवाला की नियम पुस्तिका,
- 3) फाटक निरीक्षण पुस्तक,
- 4) फाटकवाला का ड्यूटी रोस्टर,
- 5) फाटक योग्यता और प्रमाणपत्र .ई.एम.
- 6) फाटक रजिस्टर के साथ प्राइवेट नंबर शीट
- 7) शिकायत पुस्तिका लोगों के लिए

## 7 समपार फाटक की कार्य प्रणाली:

- 7.1 इस समपार फाटक में लिफ्टिंग बैरियर लगे हुए हैं तथा यह बूम लॉकिंग व्यवस्था से इंटरलॉकड है , तथा फाटक लॉज के पास स्थापित चरखी के माध्यम से संचालित होता है।
- 7.2 आम तौर पर फाटक सड़क यातायात के लिए **बंद रहता है** । हालाँकि अप और डाउन ट्रेन के गुजरने के बाद फाटकवाला सड़क यातायात के लिए समपार फाटक को खोल सकता है। इसके लिए उसे दिन में **बैनर फ्लैग और समपार फाटक के दोनों तरफ ट्रैक पर मीटर की दूरी पर 5 लैंप से समपार फाटक की सुरक्षा करनी .एस.लाल बत्ती वाले एच होगी।** सड़क यातायात के गुजरने के बाद फाटकवाला सड़क यातायात के लिए समपार फाटक को बंद करके लॉक कर देगा।
- 7.3 फाटक टेलीफोन के खराब होने की स्थिति मेंको सड़क यातायात के लिए तभी समपार फाटक , मीटर की दूरी पर दिन के समय 5 खोला जाएगा जब समपार फाटक के दोनों ओर **सेलाल बैनर झंडे और रात के समय लाल बत्ती के साथ एच लैंप .एस.लगाकर** फाटक की सुरक्षा की जाएगी। सड़क यातायात के गुजर जाने के बाद फाटकवाला सड़क यातायात के लिए फाटक को फिर से बंद करके ताला लगा देगा।
- 7.4 जब भी दुर्घटना के कारण फाटक क्षतिग्रस्त हो जाता है या ठीक से बंद नहीं हो पाता हैतो ड्यूटी , पर मौजूद फाटकवाला सड़क यातायात के लिए समपार फाटक को बंद करने के लिए सुरक्षा बाद सड़क यातायात के लिए जंजीरों का उपयोग करेगा और इसे पैडलॉक से बंद कर देगा। इसके .एम.फाटक को बंद करने और लॉक करने के समर्थन में **एसकान्हेगाँव को निजी नंबर की जानकारी देगा।**

  
(देवेन्द्र कुमार)  
व.मं.इंजी(उ.पू)/पुणे

  
(डॉ.रामदास भिसे)  
व.मं.प.प्र./पुणे

- 8 कोपरगांव कोपरगांव सेक्शनो पर ट्रेनों के आवागमन के लिए-कान्हेगांव-निम्नलिखित अनुदेशों का पालन किया जाएगा :
- 8.1 कोपरगांव में अप ट्रेन को कान्हेगांव सेक्शन-प्रवेश करने के लिए लाइन क्लियर देने से पहले या कान्हेगांव कोपरगांव सेक्शन-में प्रवेश करने के लिए डाउन ट्रेन को भेजने से पहले .एम.एस , कान्हेगांव फाटकवाला को फाटक टेलीफोन के माध्यम से ट्रेन नंबरदिशा के बारे में सूचित , नाम , यातायात के लिए फाटक करेगा और उसे सड़कबंद करने और ताला लगाने का निर्देश देगा।
- 8.2 एसकान्हेगांव के निर्देशा .एम.नुसार फाटकवाला सड़क यातायात के लिए फाटक को बंद कर देगा .एम.और फिर फाटक बंद होने के आश्वासन के रूप में एस (यदि खुला हो)कान्हेगांव को निजी नंबर बताएगा।
- 8.3 फाटकवाला तब तक फाटक नहीं खोलेगा जब तक कोई ट्रेन समपार फाटक से गुजर न जाए।
- 9 फाटक से ट्रेन पास करते समय फाटकवाला की स्थिति .आर.एस :संदर्भ) :16.04-1(
- 9.1 ड्यूटी पर तैनात फाटकवाला को फाटक लॉज पर ध्यानपूर्वक खड़ा रहना चाहिए तथा दिन के समय बाएं हाथ में हरी झण्डी तथा दाहिने हाथ में लाल झण्डी लेकर फाटक से गुजरने वाली रेलगाड़ी का निरीक्षण करना चाहिए ,तथा रात के समय टैंक की ओर इशारा करते हुए सफेद रोशनी वाले हैंड सिगनल लैम्प को पकड़कर रखना चाहिए।
- 9.2 वह सभी गुजरने वाली ट्रेनों पर नज़र रखेगा ताकि किसी भी असामान्य स्थिति जैसे कि हॉट एक्सल , लोड शिफ्ट ,फ्लैट टायर ,वैगन में आग लगना/किसी वाहन ,चेन लटकनांग आदि को देखा जा सके और खतरे का संकेत दिखाकर लोको पायलट और ट्रेन के गार्ड को चेतावनी देने के लिए तुरंत कार्रवाई की जा सके। अगर ट्रेन रुकती है तो ज़रूरी कार्रवाई करेंअगर ट्रेन नहीं रुकती है तो , कान्हेगांव .एम.मामले की सूचना एसको दें जो डाउन ट्रेन को रोककर ज़रूरी कार्रवाई करेगा। अप ट्रेन के मामले मेंकान्हेगांव.एम.एस , परिस्थितियों का ब्यौरा देते हुए निजी नंबर के आदानप्रदान के - कोपरगांव .एम.तहत एसको सलाह देगा।
- 10 सड़क यातायात के लिए समपार फाटक खोलने के लिए निम्नलिखित बिंदुओं का पालन किया जाएगा :
- 10.1 अप या डाउन ट्रेन के गुजरने के बादयदि ड्यूटी पर तैनात फाटकवाला सड़क यातायात के लिए , तो उसे यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसने फाटक बंद होने के ,फाटक खोलना चाहता है कोई निजी नंबर जारी नहीं किया है और कोई भी ट्रेन समपार फाटक की ओर नहीं आ आश्वासन में रही है।
- 10.2 दिन के समय 'लाल 'बैनर झंडा या रात के समय लाल प्रकाश के साथ एच.एस. लैंप को समपार फाटक के दोनों दिशाओं में 5मीटर की दूरी पर उपलब्ध कराए गए डंडे पर लगाएगा और फिर सड़क यातायात के गुजरने के लिए समपार फाटक खोलेगा तथा अपने हाथ में लाल झंडा/हैंड सिगनल लैंप तैयार रखेगा ,ताकि सड़क यातायात साफ होने तक किसी भी आने वाली ट्रेन को रोका जा सके।

  
(देवेन्द्र कुमार)  
व.मं.इंजी( उ.पू )/पुणे

  
(डॉ.रामदास भिसे)  
व.मं.प.प्र./पुणे

- 10.3 टेलीफोन संचार की विफलता की स्थिति में, यदि सड़क यातायात के लिए समपारफाटक खोलना आवश्यक है, तो फाटकवाला को यह सुनिश्चित करना होगा कि जिस अंतिम ट्रेन के लिए समपारफाटक बंद किया गया है, वह समपारफाटक से गुजर चुकी है और फाटक खोलने से पहले उसे दोनों दिशाओं में देखना होगा ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि दोनों छोर से कोई ट्रेन नहीं आ रही है। फिर दिन के दौरान **लाल बैनर झंडा** या रात के दौरान **लाल बत्ती के साथ एच.एस. लैंप** को समपारफाटक के दोनों ओर **5मीटर** की दूरी पर एक डंडे पर लगा दें। इसके बाद वह सड़क यातायात के गुजरने के लिए फाटक खोल देगा और अपने हाथ में लाल झंडा/हैंड सिग्नल लैंप लेकर किसी भी आने वाली ट्रेन को तब तक रोकेगा जब तक कि सड़क यातायात पूरी तरह से गुजर न जाए।
- 10.4 सड़क यातायात के गुजर जाने के बाद, फाटकवाला को पुनः सड़क यातायात के लिए समपारफाटक को बंद कर देना चाहिए तथा लॉक कर देना चाहिए।
- 11 फाटक टेलीफोन का खराब होना या फाटकवाला का टेलीफोन अटेंड न करना : संदर्भ) : एसआर.16.03-2(ई)**
- 11.1 फाटकवाला द्वारा सूचना देने में विफल रहने या टेलीफोन संचार विफल होने की स्थिति में, एस आदेश जारी करेगा और कान्हेगांव डाउन ट्रेनों के लोको पायलट को आवश्यक सतर्कता .एम. एस कोपरगांव को .एम.निजी नंबर के आदान प्रदान के तहत-परिस्थितियों का विवरण देते हुए अप ट्रेनों के लिए आवश्यक सतर्कता आदेश जारी करने की सलाह देगा।
- 11.2 ब्लॉक सेक्शन में प्रवेश करने वाली ट्रेन के लोको पायलट को सतर्कता आदेश जारी करने के लिए रनथ्रू ट्रेनों को- बीच में ही रोक दिया जाना चाहिए।
- 11.3 एस .एम.कान्हेगांव अप ट्रेन के लोको पायलट और गार्ड को चेतावनी देने के लिए निम्नलिखित सतर्कता आदेश जारी करेगा-
- (क) ट्रेन को समपार फाटक से पहले ही रोक दें, और स्वतंत्र रूप से सीटी बजाएं,
  - (ख) समपार फाटक को बंद करना सुनिश्चित करें।
  - (ग) फाटकवाला के हाथ के इशारे पर ध्यान दें।
- 11.4 जब भी फाटकवाला देखता है कि कोई रेलगाड़ी समपार फाटक के पास आ रही है तो वह समपार, मपार फाटक इसके बाद स, फाटक को बंद कर देगा और सड़क यातायात के लिए लॉक कर देगा **मीटर की 5** के दोनों ओर दूरी पर लगे **बैनर लाल बत्ती को हटा देगा/और समपार फाटक से पहले रुकी हुई रेलगाड़ी की पटरी की ओर हाथ से संकेत देगा।**
- 11.5 फाटकवाला .एम.एस, समपार फाटक से गुजरने वाली पहली ट्रेन के लोको पायलट के माध्यम से, **कान्हेगांव या कोपरगांव को**, जैसा भी मामला हो फाटक टेलीफोन की विफलता के बारे में, सूचित करेगा।

  
(देवेन्द्र कुमार)  
व.मं.इंजी(उ.पू)/पुणे

  
(डॉ.रामदास भिसे)  
व.मं.प.प्र./पुणे

**12 जब लिफ्टिंग बैरियर क्षतिग्रस्त हो जाएं तो अपनाई जाने वाली प्रक्रिया:**

- लिफ्टिंग बैरियर क्षतिग्रस्त होने की स्थिति में या फाटक बैरियर के तंत्र में किसी भी विफलता के परिणामस्वरूप बैरियर को नीचे नहीं उतारा जा सकता है और सड़क यातायात के यदि लिफ्टिंग, खिलाफ लॉक नहीं किया जा सकता है: तो निम्नलिखित कार्रवाई की जानी चाहिए,
- 12.1 फाटकवाला मामले की सूचना तुरंत एस.एम.कान्हेगांव को देगा। जब तक फाटक के दोनों ओर से रेलवे ट्रैक की ओर आने वाले सड़क यातायात को फाटक के दोनों ओर सड़क पर जंजीरों से सुरक्षित करके रोक नहीं दिया जाता है और इस प्रकार प्रदान की गई जंजीरों को बंद नहीं कर दिया जाता है तब तक ट्रेन को समपार फाटक से गुजरने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।
- 12.2 यह आश्वासन प्राप्त करने के बाद कि दोनों ओर से फाटक के प्रवेश मार्ग को जंजीर लगाकर सड़क यातायात के लिए अवरुद्ध कर दिया गया है, ड्यूटी पर तैनात एसट्रेन को ब्लॉक सेक्शन .एम. में प्रवेश करने की अनुमति देगा।
- 12.3 एस.एम.कान्हेगांव संबंधित जेको त्रुटियों को ठीक करने के लिए संदेश जारी करेगा। (वे/पी) ई.

**13 समपार फाटक पर दुर्घटना या किसी बाधा की स्थिति में कार्रवाई .आर.एस) :16.07-1)ii((**

- 13.1 यदि समपार फाटक बूम क्षतिग्रस्त हो या समपार फाटक पर कोई दुर्घटना या कोई अवरोध उत्पन्न हो तो ड्यूटी पर तैनात फाटकवाला डेटोनेटरस्फोटक के साथ समपार फाटक की सुरक्षा के लिए / दौड़ेगा तथा दिन में लाल झंडा दिखाएगा तथा रात के समय लाल बत्ती वाला एच .एस.लैंप दिखाएगा।
- 13.2 यदि कोई रेलगाड़ी नहीं आ रही हो, तो वह अवरोध को हटाने का प्रयास करेगा और यदि यह संभव न हो, तो एस.एम.कान्हेगांव को आपातकालीन घंटी) लगातार लंबी घंटी (देगा, जो तुरंत टेलीफोन पर बात करेगा।
- 13.3 फाटकवाला मामले की सूचना ड्यूटी पर तैनात एस.एम. को देगा, जो आवश्यक कार्रवाई करेगा।
- 13.4 यदि फाटकवाला अवरोध हटाने में असमर्थ है तो वह सबसे पहले उस तरफ के समपार फाटक की सुरक्षा करेगा जिस तरफ से ट्रेन आने की उम्मीद है, जो निम्नानुसार है -

यदि दोनों लाइनें बाधित हैं, तो फाटकवाला दिन में लाल बैनर झंडा और रात में या दिन के समय जब दृश्यता स्पष्ट नहीं हो, लाल बत्ती लगाएगा, जो उस लाइन पर डंडे से 5 मीटर की दूरी पर विधिवत रूप से तय की जाएगी जिस पर ट्रेन के पहले आने की उम्मीद है। फिर वह उसी तरह दूसरी डंडी को खतरे के हाथ के संकेत के साथ दूसरी लाइन पर अवरोध के स्थान से 5 मीटर दूर लगाएगा। फाटकवाला रात के समय या घने और कोहरे वाले मौसम में या जब दृश्यता कम हो, फाटक की सुरक्षा के लिए डेटोनेटर लगाने के लिए खतरे के हाथ का संकेत दिखाते हुए तुरंत आगे बढ़ेगा। फिर वह लाइन पर तीसरा खतरे का हाथ संकेत दिखाते हुए आगे बढ़ेगा, जिस पर एक ट्रेन के पहले आने की उम्मीद है, 600 मीटर की दूरी पर एक बिंदु तक और लाइन पर एक डेटोनेटर रखेगा। इसके बाद वह लेवल क्रॉसिंग से कम से कम 1200 मीटर की दूरी पर आगे बढ़ेगा और

  
(देवेन्द्र कुमार)  
व.मं.इंजी(उ.पू)/पुणे

  
(डॉ.रामदास भिसे)  
व.मं.प.प्र./पुणे